भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1982

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

तमिलनाडु में अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन

1982. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में अटल भूजल योजना (एबीवाई) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और विशेषकर कल्लाकुरिची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में इसके अंतर्गत कितने जिले, प्रखंड तथा ग्राम पंचायत शामिल हैं;

(ख) गत पाँच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में भूजल प्रबंधन एवं संरक्षण गतिविधियों के लिए अटल भूजल योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी तथा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चिन्हित क्षेत्रों में भूजन स्तर, जल संरक्षण पद्धतियों तथा सामुदायिक सहभागिता पर अटल भूजल योजना के प्रभाव का आकलन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने तमिलनाडु में ऐसे अतिदोहित एवं गंभीर श्रेणी के भूजल विकास खंडों की पहचान की है, जिनमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तमिलनाडु के जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन, जल के कुशल उपयोग तथा सतत भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): अटल भूजल योजना एक निश्चित अवधि और परिव्यय वाली एक प्रायोगिक योजना थी, जिसका कार्यान्वयन सात राज्यों– हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जल की कमी वाले 8,203 ग्राम पंचायतों में किया गया था। यह योजना समुदाय आधारित सहभागी भूजल प्रबंधन के सफल एवं प्रभावशाली कार्यान्वयन के पश्चात समाप्त हो गई है, अब यह एक अनुकरणीय मॉडल है, जिसे अन्य राज्यों द्वारा भी कार्यान्वयन के लिए अपनाया जा सकता है। पायलट चरण के दौरान इस योजना को तमिलनाडु राज्य में लागू नहीं किया गया था।

(ग): भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा अटल भूजल योजना का समग्र प्रभाव आकलन अध्ययन किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन क्षेत्रों में विस्तृत क्षेत्रीय सर्वेक्षणों और स्थानीय समुदायों के साथ हुए संवाद के आधार पर, इस अध्ययन में योजना द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण बदलावों की सार्थकता को स्वीकारा गया है; जैसे क्षमता निर्माण और आईईसी गतिविधियों के माध्यम से भूजल के मुद्दों पर सामुदायिक जागरूकता में वृद्धि, भूजल प्रबंधन में नेतृत्व और

निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी, सामाजिक समावेशिता, समग्र ज्ञान में वृद्धि और भूजल संरक्षण तथा जल प्रबंधन में भागीदारी हेतु समुदाय की तत्परता। इस रिपोर्ट की एक प्रति जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की वेबसाइट पर निम्नलिखित वेब-लिंक पर उपलब्ध है:
https://www.jalshaktidowr.gov.in/static/uploads/2026/07/597fd8727a8d10641bd33d7d22ce0459.pdf

(घ): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2022 से संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश के सक्रिय भूजल संसाधनों का आकलन किया जा रहा है। यह आकलन वार्षिक भूजल पुनर्भरण, वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन, वार्षिक भूजल निष्कर्षण और भूजल निष्कर्षण के स्तर का आकलन करता है, तथा आकलन इकाइयों को सुरक्षित, अर्ध-गंभीर, गंभीर, अति-दोहित (ओसीएस) और लवणीय के रूप में वर्गीकृत करता है। इस आकलन का उपयोग भूजल की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जाता है और यह कृत्रिम पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन, जलभृत प्रबंधन और भूजल निष्कर्षण के विनियमन सहित स्थायी भूजल प्रबंधन उपायों की योजना बनाने के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तमिलनाडु राज्य (2025) के लिए ब्लॉक-वार भूजल संसाधनों और ओसीएस वर्गीकरण का विवरण जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की वेबसाइट पर निम्नलिखित वेब-लिंक पर उपलब्ध है:
https://www.jalshaktidowr.gov.in/static/uploads/2026/07/5f94f781426143f043e1a63f58f95487.pdf

(ङ): जल राज्य का विषय है, भूजल से संबंधित समस्याओं के समाधान का दायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों का है। तथापि, केंद्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है। तमिलनाडु सहित देश भर में वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण और भूजल निष्कर्षण के विनियमन के माध्यम से भूजल संरक्षण और पुनर्भरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

i. जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक वार्षिक मिशन मोड कार्यक्रम, जल शक्ति अभियान (जेएसए) के तहत, अब तक देश में अभिसरण (कन्वर्जन्स) के माध्यम से 2.0 करोड़ से अधिक जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण कार्य किए गए हैं, जिनमें तमिलनाडु में 18.55 लाख से अधिक कार्य शामिल हैं। इसने विशेष रूप से जल की कमी वाले जिलों में भूजल संसाधनों की स्थिरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ii. देश में वर्षा जल संचयन को एक जन आंदोलन का रूप प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ माननीय प्रधान मंत्री द्वारा वर्ष 2024 में जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल शुरू की गई है। सामुदायिक स्वामित्व और जिम्मेदारी को बढ़ावा देकर, यह पहल जिलों में जल की विशिष्ट चुनौतियों के अनुरूप लागत प्रभावी, स्थानीय समाधान विकसित करने का प्रयास करती है। दिनांक 31 मई 2026 तक प्राप्त सूचना के अनुसार, इस पहल के तहत देश भर में 1.55 करोड़ से अधिक कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें तमिलनाडु में लगभग 3.15 लाख ऐसी संरचनाएं शामिल हैं।

iii. लागत प्रभावी, मात्र-स्थानीय कार्यकलापों के माध्यम से अति-दोहित और गंभीर जिलों में भूजल पुनर्भरण में तेजी लाने पर विशेष ध्यान देते हुए, दिनांक 01 जून 2026 को देश भर में जेएसजेबी-कैच द रेन (सीटीआर) अभियान लॉन्च किया गया है। जेएसजेबी: सीटीआर अभियान जन भागीदारी द्वारा संचालित है, जो पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, महिला समूहों, युवाओं, शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों और स्थानीय समुदायों को जल संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए एकजुट करता है।

iv. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में मिशन अमृत सरोवर अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य तमिलनाडु सहित देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप, देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है, जिनमें से 2,484 सरोवर तमिलनाडु में हैं।

v. वर्ष 01.04.2025 से 30.06.2026 तक, मनरेगा के तहत देश में जल से संबंधित 15,08,921 कार्य पूरे किए गए हैं, जिनमें तमिलनाडु राज्य के 1,09,479 कार्य शामिल हैं। विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025, दिनांक 01.07.2026 से प्रभावी है। जल सुरक्षा वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की प्रमुख विशेषताओं में से एक है।

vi. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मॉडल भवन उप-नियम, 2016 परिचालित किए गए हैं, जो 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक के प्लॉट आकार वाले सभी भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली को अपनाने की सिफारिश करते हैं। अब तक, तमिलनाडु सहित 35 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने संबंधित भवन उप-नियमों में इन प्रावधानों को शामिल किया गया है।

vii. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत तक जल की वास्तविक पहुंच बढ़ाना, सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को अपनाना आदि है। पीएमकेएसवाई के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन घटकों के तहत, 30.66 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है, जिसके साथ-साथ 23.42 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र के विकास का लक्ष्य भी प्राप्त किया गया है। पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) घटक के तहत, तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में 645 जल निकायों/तालाबों से संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें से मार्च 2026 तक 571 जल निकायों/तालाबों के पुनरुद्धार कार्य पूरे हो चुके हैं।

viii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (नैक्यूम) 1.0 कार्यक्रम पूरा कर लिया है, जिसमें देश का लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर का मानचित्रण योग्य क्षेत्र शामिल है। इसमें तमिलनाडु के सभी 38 जिलों के लगभग 1,05,742 वर्ग किलोमीटर का संपूर्ण मानचित्रण योग्य क्षेत्र भी शामिल है। स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए मांग-पक्ष और आपूर्ति-पक्ष दोनों तरह के हस्तक्षेपों सहित जलभृत मानचित्र और भूजल प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं और उन्हें लागू करने के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। नैक्यूम 2.0 के तहत, स्थायी भूजल प्रबंधन के बारे में सटीक और सूचित निर्णय लेने हेतु अत्यधिक विस्तृत वैज्ञानिक डेटा तैयार करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।

ix. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा पूरे देश में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है और इसे राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। यह मास्टर प्लान स्थानीय भूजल-वैज्ञानिक स्थितियों के आधार पर जिलों में वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए एक तकनीकी मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है।

x. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा वर्षा जल संचयन तकनीकों और जल संचयन संरचनाओं के संरक्षण के बारे में जागरूकता के सृजन के लिए जन संपर्क कार्यक्रम, जन जागरूकता कार्यक्रम, और स्थानीय भूजल विषयों पर टियर-II और टियर-III प्रशिक्षण सहित विभिन्न आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

xi. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उद्योगों, अवसंरचना ढांचे और खनन परियोजनाओं द्वारा किए जा रहे भूजल निष्कर्षण को विनियमित करने के लिए दिनांक 24.09.2020, यथासंशोधित दिनांक 29.03.2023 को दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को तदनुसार इन नियमों को अपनाने या अपने मौजूदा नियमों को इनके अनुरूप करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सीजीडब्ल्यूए द्वारा राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को देश भर की सभी गंभीर और अति-दोहित आकलन इकाइयों में और उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरकारी भवनों में छत पर वर्षा जल संचयन को अपनाने के निर्देश भी जारी किए जाते है।

xii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को एक मॉडल बिल परिचालित किया गया है ताकि वे इसके आधार पर वर्षा जल संचयन के प्रावधान सहित भूजल निष्कर्षण को विनियमित करने के लिए भूजल कानून बना सके। अब तक, 21 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने ऐसे कानून को अपनाया और लागू किया है। तमिलनाडु में, भूजल नियमन वर्तमान में सरकारी आदेशों के माध्यम से किया जा रहा है।

xiii. तमिलनाडु सरकार का नगर पंचायत निदेशालय सभी सरकारी, व्यावसायिक और आवासीय भवनों पर छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल है। इसके अलावा, विभिन्न राज्य सरकारी परियोजनाओं जैसे तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (टीएनआईएएमपी), सतत शुष्क भूमि कृषि मिशन (एमएसडीए), मुख्यमंत्री शुष्क भूमि विकास मिशन (सीएमडीडीएम) आदि के तहत पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर खेत-तालाबों और चेक डैम का निर्माण किया गया है।
